भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3617

दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत बाल विकास योजना और महिला सशक्तिकरण योजनाओं की स्थिति

3617. श्री नलिन सोरेन:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) और महिला सशक्तिकरण योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं को उचित रीति से कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य दल गठित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा विगत और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सतत योजना है जहां योजना के सफल कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों को कुशल तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए निरंतर सुधार और पुनर्गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग (एफसी) में, 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों के लिए पोषण सहायता; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3-6

वर्ष) तथा आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है।

आंगनवाड़ी सेवाएं एक सार्वभौमिक स्व-चयनित योजना है जो आंगनवाड़ी केन्द्रों में नामांकित सभी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार इस योजना और इसके घटकों की निरंतर निगरानी और समीक्षा करती है तथा प्राप्त अनुभवों, परिणामों, सुझावों और प्रस्तावों के आधार पर सरकार विभिन्न स्तरों पर निरंतर जुड़ाव/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समय-समय पर उचित कार्रवाई करती है।

भारत सरकार 'मिशन शक्ति' का कार्यान्वयन करती है- यह महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। मिशन शक्ति की महत्वपूर्ण योजना में दो उप-योजनाएं हैं, "संबल" और "सामर्थ्य"।

'सामर्थ्य' उप-योजना का एक घटक अर्थात् महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एचईडब्ल्यू) है जिसे संकल्प के नाम से जाना जाता है: एचईडब्लू को (महिलाओं के पोषण और ज्ञान आधारित उन्नति, अंतिम लाभार्थी तक प्रदायगी और क्षमता प्राप्ति के लिए सहायक कार्रवाई: महिला सशक्तीकरण केंद्र), महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें, महिलाओं के लिए राज्य की कार्रवाई में अंतराल को दूर करना और सरकारी योजनाओं की पहुंच और उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन हेतु अनुकूल वातावरण बनाकर महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देना है।

एचईडब्ल्यू के तहत सहायता का उद्देश्य महिलाओं को उनके सशक्तीकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत तथा योजनाबद्ध व्यवस्थाओं से जोड़ना, उनका मार्गदर्शन करना और उनका सहयोग करना है जिसमें देश भर में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य

और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच को सुगम बनाना शामिल है।"

संकल्प: एचईडब्ल्यू को पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा यह 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है। आज तक, कुल 35 राज्यों में और 742 जिलों में संकल्प: एचईडब्ल्यू कार्यशील हैं।

मंत्रालय ने बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा देने के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना उप-योजना शुरू की है। पालना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित करती है ताकि दिन-प्रतिदिन की बेहतर निगरानी और योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

आंगनवाड़ी केन्द्र विश्व के सबसे बड़े बाल देखभाल संस्थान हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं तथा अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। अपनी तरह के पहले प्रयास में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच के माध्यम से बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। इससे पूरे दिन बच्चों की देखभाल सुनिश्चित होगी तथा सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में उनका कल्याण सुनिश्चित होगा। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला श्रमबल की भागीदारी बढ़ाना है। पालना घटक का उद्देश्य बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक आयु) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा आदि प्रदान करना है। पालना के अंतर्गत क्रेच सुविधाएं सभी माताओं को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें आदिवासी महिलाएं भी शामिल हैं, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

क्रेच की स्थापना और संचालन के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त किए जाते हैं जो योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने-अपने हिस्से का योगदान देने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.01.2017 से ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में (मध्य प्रदेश सहित) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केन्द्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत प्रथम

बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन मिलता है जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपये मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो।

व्यापक 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत, पूर्ववर्ती योजनाओं 'स्वाधार गृह' – कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए गृह और 'उज्जवला' – दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं के लिए गृह को दिनांक 01.04.2022 से विलय कर दिया गया है और अब इसे 'शक्ति सदन योजना' के रूप में जाना जाता है, जो दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समर्थ वातावरण बनाना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने में समर्थ हो सकें।

शक्ति सदन योजना एक मांग आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत किराए के परिसर में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

व्यापक मिशन शक्ति के तहत पूर्ववर्ती कामकाजी महिला छात्रावास को दिनांक 01.04.2022 से सखी निवास योजना के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। यह एक मांग आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत, कामकाजी महिलाओं और नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए किराए के परिसर में सखी निवास चलाने के लिए वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है। सखी निवास के निवासियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

(घ): पिछले और वर्तमान वर्ष के दौरान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, संकल्प-एचईडब्ल्यू, पालना, पीएमएमवीवाई, शक्ति सदन और सखी निवास के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा जारी निधि का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक I से VI** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक।

'आईसीडीएस और महिला सशक्तीकरण योजनाओं की स्थिति' के संबंध में श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3617 के उत्तर हेतु भाग (घ) में संदर्भित विवरण

वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत जारी निधि (दिनांक 28.02.2025 तक) (लाख रुपये में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	70568.2	52179.32
2	बिहार	185928.9	200173.74
3	छत्तीसगढ़	57945.59	54931.94
4	गोवा	1394.69	1195.43
5	गुजरात	112680.34	30866.6
6	हरियाणा	22578.36	17752.08
7	हिमाचल प्रदेश	30109.1	24560.12
8	जम्मू और कश्मीर	53088.35	48897.35
9	झारखंड	66430.42	45112.1
10	कर्नाटक	91296.5	82342.68
11	केरल	30664.43	26767.28
12	मध्य प्रदेश	112311.11	114454.06
13	महाराष्ट्र	169951.77	133402.72
14	ओडिशा	96879.9	78129.37
15	पंजाब	30787.13	25384.39
16	राजस्थान	109196.98	73609.82
17	तमिलनाडु	88078.9	52637.82
18	तेलंगाना	50786.94	28794.12
19	उत्तर प्रदेश	266868.77	206025.42
20	उत्तराखंड	28824.07	15910.06
21	पश्चिम बंगाल	123756.19	126617.86
22	दिल्ली	16181.26	15172.72
23	पुदुचेरी	447.72	368.11
24	अंडमान और निकोबार	1129.15	756.67
25	चंडीगढ़	1979.69	1417.76
26	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1196.64	913.45
27	लद्दाख	1962.41	1464.07
28	लक्षद्वीप	288.11	134.52

29	अरुणाचल प्रदेश	16206.09	7228.84
30	असम	223331.3	179207.36
31	मणिपुर	20127.94	20362.34
32	मेघालय	26968.59	8479.58
33	मिजोरम	10026.87	3127.92
34	नागालैंड	26290.93	13891.13
35	सिक्किम	3348.65	166.47
36	त्रिपुरा	24422.41	8181.19
	कुल	**2174034.4**	**1700616.41**

अनुलग्नक II

'आईसीडीएस और महिला सशक्तीकरण योजनाओं की स्थिति' के संबंध में श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3617 के उत्तर हेतु भाग (घ) में संदर्भित विवरण

संकल्प:एचईडब्ल्यू के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार जारी की गई निधि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (रुपये में)	
		2023-24	2024-25 (दिनांक 15.03.2025 तक)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	58,60,000	
2	आंध्र प्रदेश	0	
3	अरुणाचल प्रदेश	0	
4	असम	10,71,63,000	
5	बिहार	0	3,12,54,317
6	चंडीगढ़	73,57,378	
7	छत्तीसगढ़	0	
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	74,70,000
9	दिल्ली	0	1,98,28,870
10	गोवा	30,37,500	
11	गुजरात	3,52,62,000	95,36,103
12	हरियाणा	0	
13	हिमाचल प्रदेश	2,00,47,500	92,99,350
14	जम्मू और कश्मीर	7,25,01,750	3,17,11,500
15	झारखंड	1,85,04,400	
16	कर्नाटक	2,51,04,000	2,47,47,000
17	केरल	1,53,09,000	
18	लद्दाख	45,75,000	59,25,000
19	लक्षद्वीप	0	
20	मध्य प्रदेश	4,95,52,500	
21	महाराष्ट्र	9,21,66,000	
22	मणिपुर	0	
23	मेघालय	2,88,56,250	
24	मिजोरम	1,39,32,000	3,17,79,000
25	नागालैंड	4,51,08,000	1,84,92,822
26	ओडिशा		

27	पुदुचेरी	30,84,000	54,09,000
28	पंजाब	0	
29	राजस्थान	3,42,52,000	
30	सिक्किम	87,43,500	1,06,18,033
31	तमिलनाडु	7,46,80,035	
32	तेलंगाना	3,37,77000	
33	त्रिपुरा	0	1,36,75,500
34	उत्तर प्रदेश	0	7,79,76,000
35	उत्तराखंड	2,15,05,500	
कुल		**72,03,78,313**	**29, 77 , 22, 495**

**पश्चिम बंगाल राज्य इस योजना को कार्यान्वित नहीं करता है।*

अनुलग्नक III

'आईसीडीएस और महिला सशक्तीकरण योजनाओं की स्थिति' के संबंध में श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3617 के उत्तर हेतु भाग (घ) में संदर्भित विवरण

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पालना के अंतर्गत जारी निधि

(रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13,06,400	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0
3	असम	2,01,87,000	0
4	अरुणाचल प्रदेश	0	86,80,410
5	बिहार	53,09,850	0
6	चंडीगढ़	0	4,23,80,000
7	छत्तीसगढ़	19,74,78,000	0
8	दिल्ली	1,83,22,260	0
9	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	61,68,250	65,32,000
10	गोवा	8,81,820	0
11	गुजरात	0	0
12	हरियाणा	0	99,93,960
13	हिमाचल प्रदेश	0	2,67,45,840
14	जम्मू और कश्मीर	7,27,57,762	3,22,85,700
15	झारखंड	10,03,31,520	0
16	कर्नाटक	5,60,98,092	0
17	केरल	5,19,41,934	0
18	लद्दाख	10,99,800	0
19	लक्षद्वीप	1,12,150	0
20	मध्य प्रदेश	0	0
21	महाराष्ट्र	2,32,15,050	0
22	मणिपुर	54,10,620	0
23	मिजोरम	2,27,80,350	5,91,94,530
24	मेघालय	1,20,03,660	0
25	नागालैंड	1,83,51,180	2,02,26,780
26	ओडिशा	0	0

27	पुदुचेरी	26,24,310	0
28	पंजाब	0	1,61,94,800
29	राजस्थान	0	0
30	सिक्किम	16,63,155	0
31	तमिलनाडु	1,73,73,088	5,87,88,000
32	तेलंगाना	22,20,570	9,79,80,000
33	त्रिपुरा	0	6,63,11,291
34	उत्तराखंड	39,17,790	0
35	उत्तर प्रदेश	0	0
36	पश्चिम बंगाल	0	0
कुल		**64,15,54,611**	**44,53,13,311**

* राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अभी तक पालना योजना को कार्यान्वित नहीं किया है।

अनुलग्नक IV

'आईसीडीएस और महिला सशक्तीकरण योजनाओं की स्थिति' के संबंध में श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3617 के उत्तर हेतु भाग (घ) में संदर्भित विवरण

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत जारी निधि का वर्षवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023-24**	**2024-25 (दिनांक 18.03.2025 तक)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0.33
2	आंध्र प्रदेश	57.99	44.96
3	अरुणाचल प्रदेश	0	1.98
4	असम	155.05	12.11
5	बिहार	0	141.53
6	चंडीगढ़	4.08	0
7	छत्तीसगढ़	0	68.72
8	दादरा एवं नगर हवेली		
9	दमन और दीव	0.91	2.37
10	गोवा	0	1.86
11	गुजरात	75.64	72.48
12	हरियाणा	0	33.29
13	हिमाचल प्रदेश	10.56	26.85
14	जम्मू और कश्मीर	33.6	24.57
15	झारखंड	0	39.3
16	कर्नाटक	113.96	102.53
17	केरल	61.06	0
18	लद्दाख	0.69	0.62
19	लक्षद्वीप	0.23	0.27
20	मध्य प्रदेश	105.51	256.99
21	महाराष्ट्र	0	103.14
22	मणिपुर	7.93	0
23	मेघालय	0	3.45
24	मिजोरम	1.4	2.55
25	नागालैंड	2.42	3.1

26	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	27.15	0
27	ओडिशा	0	43.48
28	पुदुचेरी	0	1.76
29	पंजाब	32.05	32.03
30	राजस्थान	123.23	98.17
31	सिक्किम	1.28	0
32	तमिलनाडु	0	56.94
33	तेलंगाना	0	0
34	त्रिपुरा	11.31	5.42
35	उत्तर प्रदेश	0	0
36	उत्तराखंड	30.35	18.53
37	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल	**856.4**	**1199.33**

अनुलग्नक V

'आईसीडीएस और महिला सशक्तीकरण योजनाओं की स्थिति' के संबंध में श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3617 के उत्तर हेतु भाग (घ) में संदर्भित विवरण

शक्ति सदन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान जारी निधि (लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023-24**	**2024-25 (दिनांक 19.03.2025 तक)**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1160.82	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	1852.12	1171.84
5.	बिहार	0	302.90
6.	चंडीगढ़	0	10.91
7.	छत्तीसगढ़	100.61	19.90
8.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	0
9.	दिल्ली	62.19	18.24
10.	गोवा	0	0
11.	गुजरात	0	0
12.	हरियाणा	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	35.95	47.45
14.	जम्मू और कश्मीर	67.24	235.71
15.	झारखंड	94.76	4.77
16.	कर्नाटक	1128.17	0
17.	केरल	49.46	420.49
18.	लद्दाख	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	341.52	0
21.	महाराष्ट्र	338.19	1016.77
22.	मणिपुर	2889.94	1993.58
23.	मेघालय	0	89.58
24.	मिजोरम	304.59	0
25.	नागालैंड	52.34	328.36
26.	ओडिशा	246.10	48.68
27.	पुदुचेरी	24.57	0
28.	पंजाब	0	1.66
29.	राजस्थान	117.02	7.24
30.	सिक्किम	38.31	15.64
31.	तमिलनाडु	1517.08	1053.51
32.	तेलंगाना	634.84	138.04

33.	त्रिपुरा	121.79	17.37
34.	उत्तर प्रदेश	0	581.18
35.	उत्तराखंड	0	0
36.	पश्चिम बंगाल	720.36	0
	कुल	**11897.97**	**7523.82**

अनुलग्नक VI

'आईसीडीएस और महिला सशक्तीकरण योजनाओं की स्थिति' के संबंध में श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3617 के उत्तर हेतु भाग (घ) में संदर्भित विवरण

सखी निवास योजना के तहत जारी निधि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023-24**	**2024-25 (दिनांक 19.03.2025 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	21.52	0.00
2	बिहार	0.00	90.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	147.02
4	असम	61.47	34.25
5	छत्तीसगढ़	26.68	3.78
6	दिल्ली	0.00	3.02
7	गुजरात	46.46	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	9.29	4.64
9	जम्मू और कश्मीर	4.80	37.24
10	केरल	48.00	102.12
11	महाराष्ट्र	0.00	25.55
12	मणिपुर	58.87	55.37
13	नागालैंड	175.15	27.87
14	सिक्किम	0.00	12.14
15	तमिलनाडु	0.00	108.31
16	उत्तर प्रदेश	0.00	39.71
	कुल	**452.24**	**691.02**

****